

विशेष रिपोर्ट-3

फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों से अपील!!!

कृपया बिल्डर के झांसे में ना आए!!!

**जेडीए के अनुसार यह बिल्डिंग अवैध है,
जिसे कभी भी सील किया जा सकता है!!!**

बिल्डर से इस प्रोजेक्ट के रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे!!!

भूखंड संख्या 14, 15, 16 कृष्णा गार्डन, अक्षयपात्र के सामने, जगतपुरा

पर बन कर तैयार हो चुकी अवैध इमारत

"विशाल याशिका हेव्स" का मामला!!!!

**जेडीए के अनुसार वर्तमान में यह मामला न्यायालय में लंबित है
जिस पर 10/11/2021 को सुनवाई होनी है!!**

Jaipur Development Authority (J D A), Enforcement Officer , (Zone-II) , Enforcement Officer - 9	, , ,	Remarks	28-Oct-2021	प्रकरण में धारा ३२ ३३ के नोटिस जारी किया गया है जिसमें माननिये न्यालय में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख दिनांक १० -११ -२०२१ नियत है
Jaipur Development Authority (J D A), Enforcement Officer , (Zone-II) , Enforcement Officer - 9	, , ,	Partially Closed :Relief	28-Oct-2021	प्रकरण में धारा ३२ ३३ के नोटिस जारी किया गया है जिसमें माननिये न्यालय में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख दिनांक १० -११ -२०२१ नियत है

इस अवैध बिल्डिंग के संबंध में जेडीए द्वारा दिया गया जवाब।

**यदि आप इस अवैध बिल्डिंग में फ्लैट खरीद चुके हैं तो
आपके प्राधिकरण में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
इसके द्वारा अपराध प्रमाणित होने पर बिल्डर पर
भारी जुर्माना और सजा भी आरोपित हो सकती है।
आप अपनी शिकायत उपभोक्ता फोरम में भी दर्ज करवा सकते हैं।**